



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1882

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 17379 वर्ष 2024

निर्मला देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	प्रतिभा जायसवाल
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतिभा जायसवाल का पक्ष प्रस्तुत करते हुए सुश्री गरिमा कुमारी जायसवाल (एओआर संख्या ए/जी 0278/22) ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को आशा कार्यकर्त्री के पद पर कार्यभार संभालने की अनुमति देने हेतु प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 5 को अधिदेश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश मांगा गया है और इसके अलावा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 09.06.2022 पर विचार करने और माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से निर्णय लेने का अधिदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश मांगा गया है, अंतर्निहित दोष के कारण, नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।